अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.
दिनांक: 13.01.2025

फा.सं.4-1/2025-हिं.अ.

नामांकन आदेश

विषय: भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की हिंदी शिक्षण योजना के अन्तर्गत अनिवार्य हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण कक्षाओं में संस्थान के कर्मचारियों का नामांकन।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हिंदी शिक्षण योजना के दिनांक 24 अक्तूबर, 2024 के पत्र सं.13/1/2024/उ.नि.(टं./आ.)/2213 के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्थान के विभिन्न विभागों/अनुभागों/केन्द्रों में कार्यरत निम्नलिखित 13 कर्मचारियों को हिंदी टंकण/आशुलिपि की ऑफलाइन कक्षाओं में अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु नामित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है:-

हिंदी टंकण प्रशिक्षण हेतु नामित कर्मचारीगण

1.	श्री सुनील यादव, कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक	स्थापना अनुभाग (नि.का.)
2.	सुश्री प्रियंका बामनियां, कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक	मुख्य परिचर्या अधिकारी कार्यालय
3.	श्री रौनी मैसी, कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक	स्थापना अनुभाग (अस्पताल)
4.	श्री प्रदीप कुमार, कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक	संकाय प्रकोष्ठ
5.	श्री मोहित वर्मा, कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक	संकाय प्रकोष्ठ
6.	श्री सतेन्द्र सिंह धाकड़, कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक	संकाय प्रकोष्ठ
7.	श्री शिव कुमार, कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक	कैथ लैब स्टोर (हृ.तं. केंद्र)
8.	श्री विवेक, ड्राईवर	परिवहन कार्यालय
9.	श्री सुरेन्द्र सिंह, मसालची/बैरर, ग्रेड-।।	बाल चिकित्सा कार्यालय
10.	श्री सौरव कुमार मिश्रा, कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक	भर्ती प्रकोष्ठ
11.	श्री सुमित, वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक	परिवहन कार्यालय
12.	श्री बसंत शर्मा, सुरक्षा-सह-अग्नि सहायक	सुरक्षा कार्यालय

हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण हेतु नामित कर्मचारी

1.	सुश्री रूचि मुटरेजा, आशुलिपिक	भर्ती प्रकोष्ठ

सत्र फरवरी, 2025 से प्रारंभ होने वाले हिंदी टंकण प्रशिक्षण की अवधि 6 माह की है तथा आशुलिपि प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष की है। यह प्रशिक्षण कार्य दिवसों में (शनिवार को छोड़कर) ही दिया जाएगा और कक्षाएं कार्यालय समय में 01 घंटे प्रतिदिन होंगी। नियमित कक्षाएं 17 फरवरी, 2025 से आरम्भ होंगी।

जारी-2/-

उपर्युक्त सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण अवधि में कक्षा में उपस्थित होना व उसकी समाप्ति पर परीक्षा में बैठना अनिवार्य है और कक्षा में गैर-हाजिरी को कर्त्तव्य की अवहेलना माना जाएगा। भारत सरकार के निदेशानुसार हिंदी टंकण प्रशिक्षण हेतु नामित उपर्युक्त कर्मचारियों के लिए कोई एवजी (सब्स्टिट्यूट) नहीं दिया जाएगा।

अतः सम्बद्ध कर्मचारीगण को यह निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक 13 से 14 फरवरी, 2025 को प्रातः 10.00 बजे हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण में प्रवेश पाने के लिए सहायक निदेशक से संपर्क करें:-

प्रशिक्षण स्थल का पता: सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)
हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र
कमरा नं. 106, लेवल-1, पूर्वी खण्ड-।।
आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066.

संबद्ध केन्द्र-प्रमुख/विभाग/अनुभाग-अध्यक्षगण से यह भी अनुरोध है कि कृपया हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण हेतु नामित कर्मचारीगण को प्रशिक्षण कक्षाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने से मना न किया जाए।

अतः सम्बद्ध कर्मचारीगण को यह निदेश दिया जाता है कि वे उक्त प्रशिक्षण केन्द्र में नामांकन प्राप्त करने हेतु हिंदी अनुभाग से संपर्क करें ताकि हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश प्राप्त करने हेतु हिंदी अनुभाग द्वारा आगे की आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

13/1/25

(बी.एस.गिल)
मुख्य प्रशासन अधिकारी

वितरण: सभी सम्बद्ध कर्मचारीगण।
द्वारा: संबंधित विभाग/अनुभाग/केंद्र।

प्रतिलिपि:

- निदेशक/अपर निदेशक(प्रशा.)/संकायाध्यक्ष(शैक्षिक)/चिकित्सा अधीक्षक महोदया के प्रधान निजी सचिव।
- वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदया के निजी सचिव।
- उप-सचिव/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वित्त सलाहकार/अधीक्षण अभियंता महोदय के निजी सचिव।
- प्रभारी आचार्य, भर्ती प्रकोष्ठ
- विभागाध्यक्ष, बाल चिकित्सा विभाग।
- मुख्य परिचर्या अधिकारी, अस्पताल
- भण्डार अधिकारी (मुख्य गैरेज)/हृद तंत्रिका केन्द्र
- मुख्य सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा विभाग
- प्रशासन अधिकारी, स्थापना अनुभाग (नि.का.)/भर्ती प्रकोष्ठ/संकाय प्रकोष्ठ/अस्पताल।
- संयुक्त निदेशक (टंकण/आशुलिपि), हिंदी शिक्षण योजना, ईस्ट ब्लॉक-7, लेवल-6, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066.
- सम्बद्ध कर्मचारीगण की वैयक्तिक फाइल।
- प्रभारी आचार्य, कंप्यूटर सुविधा: इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।